

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 408] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 1972/भाद्र 22, 1894

No. 408] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1972/BHADRA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 13th September 1972

S.O. 596(E)/18A/IDRA/72.—In exercise of the powers conferred by clause(b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development), No. S.O. 4460/18A/IDRA/67, dated the 14th December, 1967, namely:—

In the said Order, in clause 5, for the words "four years and nine months", the words "five years" shall be substituted.

[No. F. 4/13/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1972

का० आ० 596(अ)/18क/आई डी आर ए/72.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 4460/18क/आई डी आर ए/67 तारीख 14 दिसम्बर, 1967 में, एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, खण्ड 5 में “चार वर्ष और नौ मास” शब्दों के स्थान पर “पांच वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० फा० 4/13/72—सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर,

संयुक्त सचिव।